रजिस्ट्रर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 22 जून, 1987/1 आषाढ़, 1909

### हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

बिलासपुर, 28 मई, 1987

संख्या एफ० डी० एस०/बी० एल० पी०-7-181 (आपूर्ति)/86-2588 से 2633.—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या एफ० डी० एस०/बी० एल० पी० (आपूर्ति)/86-1516 से 1575, दिनांक 13 अप्रैल, 1987 के क्रम में, मैं, एस० के० दास, जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश जमाखोरी, मुनाफाखोरी अनुरोधक आदेश, 1977

1151-राजपत्र/87-22-6-87—1,220. (991) मूल्य : 20 पैसे ।

की धारा 3(1)(ई) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मीट व चिकन का थोक व परचून मूल्य पुनः निम्न प्रकार से निर्धारित करता हूं:—

| क्रमांक | अनुसूची नं0 के अनुसार संख्या | वस्तु का नाम | समस्त करों सहित थोक मूल्य | समस्त करों सहित परचून मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 1. मीट बकरा/बकरी | — | 32.00 प्रति किलो |
| | | 2. मीट भेडा | — | 20.00 प्रति किलो |
| | | 3. मीट सुअर | — | 14.00 प्रति किलो |
| | | 4. चिकन जिन्दा | 22.00 प्रति किलो | 24.00 प्रति किलो |
| | | 5. चिकन साफ किया हुआ | 25.00 प्रति किलो | 27.00 प्रति किलो |

उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरें सारे बिलासपुर जिला में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक महीने के लिए लागू रहेंगी।

एस0 के0 दास,
जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर।

---

कार्यालय आयुक्त (हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत) एवं जिलाधीश, ऊना

आदेश

ऊना, 30 मई, 1987

सं0 5972-86-विविध.—हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तायुक्त एवं सचिव (भाषा एवं संस्कृति) की अधिसूचना संख्या भाषा-क(3)-3/85, दिनांक 20-1-1987 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, चिन्तपुरणी मन्दिर, चिन्तपुरणी, जिला ऊना के प्रबन्ध हेतु निम्नलिखित कमेटी का तत्काल गठन करता हूं:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), अम्ब | प्रधान |
| 2. | अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) भरवांई | सदस्य |
| 3. | अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य), वृत-2, ऊना | सदस्य |
| 4. | खण्ड विकास अधिकारी अम्ब | सदस्य |
| 5. | तहसीलदार, अम्ब | सदस्य-सचिव |
| 6. | श्री बाल कृष्ण सुपुत्र श्री किरपा राम, निवासी चिन्तपुरणी | सदस्य |
| 7. | श्री राम देव सुपुत्र श्री मुरारी लाल, निवासी चिन्तपुरणी | सदस्य |
| 8. | श्री मदन लाल सुपुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी चिन्तपुरणी | सदस्य |
| 9. | श्री केवल कृष्ण सुपुत्र श्री मोती राम, प्रधान, ग्राम पंचायत छपरोह (चिन्तपुरणी) | सदस्य |
| 10. | श्री देस राज कालिया सुपुत्र श्री छोटे लाल, निवासी चिन्तपुरणी | सदस्य |
| 11. | श्री शिव कुमार कौल सुपुत्र श्री भगत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत नारी (चिन्तपुरणी) | सदस्य |

राजमणि त्रिपाठी,
आयुक्त (हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत) एवं जिलाधीश, ऊना।

कार्यालय जिलाधीश, मण्डी, जिला मण्डी

आदेश

मण्डी, 21 अप्रैल, 1987

संख्या पी0सी0एच0-220-8(1)/1964-II-1662-1667.—क्योंकि श्री अमर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत संधोल, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी पंचायत निधि के दुरुपयोग के दोषी समझ जाते हैं;

और क्योंकि श्री अमर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत संधोल को पंचायत निधि ग्राम पंचायत संधोल के दुरुपयोग किए जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0 पी0सी0एच0-220-8(1)/1964-II-1146-49, दिनांक 13-3-1987 द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था;

और क्योंकि श्री अमर सिंह, प्रधान, द्वारा प्रेषित उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है तथा उन का प्रधान पद ग्राम पंचायत संधोल पर बने रखना उचित नहीं समझा गया है।

अतः मैं, एस0 पदमनाभन, जिलाधीश, मण्डी उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो उनमें पंचायत अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत निहित हैं, श्री अमर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत संधोल, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी को प्रधान पद ग्राम पंचायत संधोल से इस आदेश के जारी होने की दिनांक से निलम्बित करता हूं तथा उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि वह पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे तथा पंचायत की कोई भी चल सम्पति यदि उनके पास हो, उसे उप-प्रधान ग्राम पंचायत संधोल को अविलम्ब सौंप दें।

---

मण्डी, 21 अप्रैल, 1987

संख्या पी0सी0एच0-मण्डी-233(1)/63-II-1142-45-1668-73.—क्योंकि ग्राम पंचायत धर्मपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी के अवधि 4/83 से 3/86 के लेखा परीक्षण पर पंचायत निधि के अपहरण, गबन तथा दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आए थे;

और क्योंकि श्री सिंघु राम, प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी को पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) तथा ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत पृष्ठांकन सं0 पी0सी0एच0-मण्डी-233-8(II)/63-II-1142-45, दिनांक 13 मार्च, 1987 द्वारा उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और क्योंकि श्री सिंघु राम, प्रधान, द्वारा प्रेषित उत्तर, दिनांक 3-4-87 संतोषजनक नहीं पाया गया है तथा कथित प्रधान ने मामले में पूर्ण छानबीन करवाने का भी आग्रह किया है;

और क्योंकि आरोपों की निष्पक्ष स्वतंत्र जांच के लिए यह उचित समझा गया है कि श्री सिंघु राम को प्रधान पद, ग्राम पंचायत धर्मपुर से निलम्बित किया जाए।

अतः मैं, एस0 पदमनाभन, जिलाधीश, मण्डी उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो उन्हें पंचायत अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत निहित हैं, श्री सिंघु राम, प्रधान, ग्राम पंचायत, धर्मपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी को प्रधान पद, ग्राम पंचायत धर्मपुर से इस आदेश के जारी होने की दिनांक से निलम्बित करता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं कि वे निलम्बन काल में पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे तथा उनके पास पंचायत की कोई भी चल सम्पति यदि हो तो उसे उप-प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर को अविलम्ब सौंप दें।

एस0 पदमनाभन,
जिलाधीश, मण्डी

## EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 3rd June*, 1987

No. EXN-B-(1)-1/77-Vol-II.—On his reversion from deputation from HIMFED, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri K. L. Dixit, Excise and Taxation Officer in the pay scale of Rs. 1200—1850 on *ad hoc* basis with effect from 1-4-1987 till the posts of Assistant Excise and Taxation Commissioners are filled up on regular basis.

2. The promotion being purely temporary shall not confer any right whatsoever towards seniority or continuation as such.

3. The Governor is further pleased to post Shri K. L. Dixit against the vacant post of Assistant Excise and Taxation Commissioner in the office of Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla, till further orders.

By order,
S. S. SIDHU,
*Commissioner*-cum-*Secretary*.

---

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।